भारत सरकार
वाणिज्य तथा उधोग मंत्रालय
कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रशासन
गांधीधाम कच्छ

सं: कविआक्षे/भंडार/ Stat/07-08/5 दिनांक: 12-9-13

विषय:- Printing of Registers, की पूर्ति के लिए निविदा।

1. मुहरबंद उद्धरण (कोटेशन) 18-9-13 को देय पूछताछ सं. कविआक्षे/भंडार/5/1/2009 दिनांक 12-9-13 के विरुद्ध आमंत्रित किए जाते हैं।
2. कोटेशन इस कार्यालय में 18-9-13 को 3:00 बजे तक पहुंच जाने चाहिए, इसके बाद किसी भी कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. कोटेशन पेंसिल से नहीं लिखे होने चाहिए, ऐसे कोटेशन अस्वीकृत किए जाऐंगें।
4. कोटेशन नियत तारीख को 4:00 बजे कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रशासनिक कार्यालय भवन, गांधीधाम-कच्छ में निविदिता यां उसके अधिकृत प्रतिनिधि, जो वहां उपस्थिति रहना चाहे, के समक्ष खोले जाऐंगें।
5. जबकि प्रस्तावित उपयुक्त माल आई.एस.आई. या बी.एस.एस. विनिर्देश के अनुरूप होना चाहिए। प्रत्येक विषय में माल की छाप का जिक्र होना चाहिए।
6. सुपुर्दगी की अवधि नीचे रिर्माक कालॅम में साफ उल्लिखित होनी चाहिए।
7. अगर आपका कोटेशन मंजूर होता है और आर्डर आपको दिया जाता है तो यह अत्यावश्यक है कि उसमें अनुबंधक सुपुर्दगी की अवधि का सख्ती से पालन करे अन्यथा देरि होने पर संबंधित माल के आदेश के कुल मूल्य का 1/2 प्रतिशत तथा अधिक्तम 10 प्रतिशत की शर्त पर प्रतिदिन पैनल्टी के रूप में चार्ज किया जाएगा।
8. आर्डर की पूर्ति के इन्कार की अवस्था में या पूर्ति की निर्धारित अंतिम तारीख के 30 दिनों के अंदर पूर्ति न करने की स्थिति में, पूर्तिकर्ता की जवाबदारी होने से उस पर अधिक्तम जुरमाना लगाने के बावजूद आदेश दिए गए माल की पूर्ति न होने पर प्रशासन द्वारा खरीदे गए माल के भुगतान की वसूली पूर्तिकर्ता से की जाएगी।
9. अगर पूर्तिकर्ता नियत तारीख के अंदर माल की पूर्ति , जो पूर्ति आदेश में उल्लिखित है, नहीं करता है या माल पूर्ति

आदेश में उल्लिखित अपेक्षित विनिर्देश के अनुसार नहीं है तो प्रशासन अधिकारी, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र को बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, पूर्ति आदेश रद्द करने का अधिकार है।

10. कृप्या दरें रुप्यों में उद्धत करें।

11. उद्धरण मुहरबंद लिफाफों में होने चाहिए तथा लिफाफों के उपर यह छपा हुआ होना चाहिए कि 'कोटेशन Printing of Registers की पूर्ति के लिए' नियत तारीख 18.9.13 को।

12. जहां पर आवश्यक हो आपके प्रस्ताव के साथ नमूना भी साथ होना चाहिए। जिस माल की पूर्ति करनी है उसके पैम्फ्लेटस भी कोटेशन के साथ होने चाहिए।

13. सभी दरें बिक्री कर, राज्य कर और रिटेल बिक्री कर इत्यादि से रहित होनी चाहिए और पंजीकरण संख्या भी उल्लिखित होनी चाहिए। अगर दावा करें तो पूर्तिकर्ता को दरें उद्धत करते समय यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें राज्य कर या अन्य बिक्री करों में छूट देने की घोषणा कर दी है। जो पूर्तिकर्ता यह स्पष्ट नहीं करेगा उसका कोटेशन विचारार्थ नहीं किया जाएगा।

14. कृप्या यह नोट करें कि आंशिक पूर्ति किसी भी परिस्थितियों में स्वीकार नहीं की जाएगी। बिल का भुगतान, आदेश दिए गए माल की पूरी मात्रा अच्छी स्थिति और विनिर्देश के अनुसार मिलने के बाद ही किया जाएगा।

15. अधोहस्ताक्षरी को कोई एक या सभी निविदाएं अस्वीकार करने का तथा सबसे कम राशि की निविदा के अलावा अन्य निविदा, बिना कोई कारण बताए, स्वीकार करने का अधिकार है।

सहायक विकास आयुक्त,
कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र।

क्रम सं.	दुकान का नाम तथा पता	मात्रा	प्रति इकाई दर	कुल रकम

To
Web site.

Printing of
DTA/GCA registers.
Total 20+20.

प्रति :-